



कार्यालय
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
लोक भवन, लखनऊ

Non-I.G.R.S.



संख्या

दिनांक




**प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग।**

कृपया श्री संजय सिंह गंगवार, मा0 राज्य मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें के संलग्न पत्र दिनांक 13.08.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर को जनहित में मय स्टाफ अनुदानित कराये जाने के सम्बन्ध में है। यह पत्र मा0 मुख्यमंत्री जी को मिलकर दिया गया है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा परीक्षणोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किए जाने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराए जाने की अपेक्षा की गई है।

संलग्नक-यथोक्त


13.08.2025
(सूर्य पाल गंगवार)
सचिव, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन।

मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-1

30/11/20
सांजय सिंह गंगवार

राज्य मंत्री

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें
उत्तर प्रदेश



उ० प्र० सचिवालय,
जी-1/4, छठा तल, बापूभवन,
लखनऊ।

दूरभाष (कार्या०) : 0522-2237287

आवास : 0522-2238668

(सी०एच०) : 0522-2214798

मा० मुख्यमंत्री जी।

दिनांक

कृपया डॉ सुधीर कुमार शर्मा, प्राचार्य, गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर के प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें इन्होंने अवगत कराया है कि गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर वर्ष 1994 में स्थापित हुआ था तथा इस क्षेत्र में एकमात्र महाविद्यालय है, जिसमें बी०ए०, बी०कॉम०, एम०ए० एवं बी०एस०सी०, कृषि इत्यादि पाठ्यक्रमों के लगभग 2000 से अधिक विद्यार्थी अपना अध्ययन पूर्ण कर कर रहे हैं। यह महाविद्यालय विगत कई वर्षों से क्षेत्र के शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान प्राप्त कर चुका है। उक्त विद्यालय को शासकीय अनुदान पर लिये जाने हेतु पूर्व में कई बार अनुरोध किये जाने के उपरान्त भी इस दिशा में कोई सार्थक निर्णय नहीं हो पा रहा है, जबकि भान्यता के समय ही यह निर्धारित किया गया था कि आगामी 03 वर्षों के उपरान्त बाद ही उक्त विद्यालय को अनुदान पर लिया जाना था। इतने वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी विद्यालय को अनुदान पर लिया जाना सम्भव नहीं हो पाया है। श्री शर्मा जी द्वारा उक्त विद्यालय को मय-स्टाफ अनुदानित कराने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में आपके निर्देशानुसार पत्रावली मा० राज्य शिक्षा मंत्री जी के पास विचाराधीन है।

अतः उक्त पारिस्थितियों के नृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर को जनहित में मय स्टाफ अनुदानित कराने हेतु संबंधित को आदेशित करने की कृपा करें।

संलग्नक-यथोक्त।

सादर

13.08.2020



गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर जनपद पीलीभीत (उ०प्र०) पिन 262122 (एम०जे०पी०रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध)

Web-www.gkmpooranpur.com, Email- principalgkpgcollege@gmail.com Mob.9412486571, 7017196641

Ref.

Date . / 3 / 8 : 25

सेवा में ,

मा० मुख्यमंत्री जी
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ।

विषय:- गन्ना किसानों की कटौती से संचालित महाविद्यालय को मय-स्टाफ अनुदानित महाविद्यालय घोषित करने के सम्बन्ध में,

आदरणीय महोदय,

आपके संज्ञान में लाना है कि गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूरनपुर पीलीभीत (सम्बद्ध एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली) सन 1994 में स्थापित हुआ था, 15 नवम्बर 1994 को महामहिम श्री राज्यपाल महोदय/कुलाधिपति महोदय द्वारा सस्था को मान्यता प्रदान की गयी थी, महाविद्यालय को 3 वर्ष तक निजी संसाधनों से संचालित करना था इसके बाद सरकार द्वारा अनुदान सूची पर लेना था, इसी आशय से महाविद्यालय में उच्च शिक्षा सेवा आयोग से चयनित प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई और महाविद्यालय को अनुदान की प्रत्याशा में वर्ष 2006 तक 1-1 वर्ष का मान्यता विस्तारीकरण किया जाता रहा। महाविद्यालय निरंतर अनुदान की प्रत्याशा में गन्ना कृषको की गन्ना मूल्य कटौती से संचालित रहा तथा वर्ष 2006 में स्थाई मान्यता के समय इस महाविद्यालय को स्ववित्तपोषित श्रेणी में ला दिया गया जिस पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आपत्ति भी की गयी तब से लगातार शासन स्तर पर पत्रावली पर आदेश निर्गत होते रहे परन्तु आज तक पत्रावली का निस्तारण नहीं हो सका जबकि बीच में कई बार अनुदानित महाविद्यालय के स्ववित्तपोषित शिक्षकों का विनियमितीकरण किया गया।

वर्तमान में इस महाविद्यालय में बी.ए. प्रथम वर्ष में 800 सीटें, बी.कॉम.प्रथम वर्ष में 60 सीटें तथा एम.ए. छः विषय में प्रत्येक विषय में 30-30 सीटें एवं बी.एस.सी. कृषि में 60 सीटें स्वीकृत हैं। इस क्षेत्र में कोई भी शासकीय/अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय नहीं है, इस महाविद्यालय की अनुदान की पत्रावली गन्ना आयुक्त उ०प्र०/शिक्षा निदेशक की संस्तुति के साथ महोदय के निर्देश पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के यहाँ लंबित है। इस क्षेत्र के गरीब छात्र-छात्राएं शुल्क न दे पाने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। प्रारंभ के वर्षों में इस महाविद्यालय में 132/- रुपये शिक्षण शुल्क लिया जाता था, वर्तमान में अनुदान न मिलने के कारण 3472/- रुपये शिक्षण शुल्क लेकर महाविद्यालय को संचालित किया जा रहा है। 2015-16 से गन्ना किसानों ने अपने गन्ना मूल्य से कटौती न कराने का निर्णय लिया जिस कारण महाविद्यालय के संचालन में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। महाविद्यालय के पास 21.5 एकड़ भूमि है जोकि महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति/शासन के नाम रजिस्टर्ड है। इस महाविद्यालय में स्वयं महामहिम श्री राज्यपाल महोदय द्वारा 23/02/2018 को मेधावी/पुरातन छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय परिसर में सम्मानित किया जा चुका है तथा आपके आशीर्वाद से 15 नवम्बर 2022 को प्राकृतिक खेती के ऊपर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न प्रदेशों के शिक्षाविदों ने प्रतिभाग किया जिसका लाभ क्षेत्र के किसानों, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को प्राप्त हुआ। वर्तमान में महाविद्यालय विश्वविद्यालय, प्रदेश एवं देश में अपनी पहचान बना चुका है।

महाविद्यालय को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। महाविद्यालय में कार्यरत स्टाफ एवं क्षेत्र के जन प्रतिनिधि भी इसके संचालन को लेकर चिंतित हैं कि गन्ना किसानों ने अपने खून पसीने की कमाई से जिस तरह इस महाविद्यालय को स्थापित किया कहीं इसका भविष्य 31 वर्ष बाद अन्धकार में न हो जाए। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जन-प्रतिनिधियों द्वारा महोदय से महाविद्यालय को अनुदानित कराने का अनुरोध किया जा चुका है और तत्कालीन गन्ना आयुक्त महोदय श्री संजय आर. भूसरेड्डी जी द्वारा प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र लिखकर महाविद्यालय को अनुदानित किये जाने का



गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर जनपद पीलीभीत (उ०प्र०) पिन 262122 (एम०जे०पी०रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से सम्बद्ध)

Web-www.gkmpooranpur.com, Email- principalgkpgcollege@gmail.com Mob.9412486571, 7017196641

अनुरोध किया गया है साथ ही तत्कालीन गन्ना आयुक्त महोदय श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय जी द्वारा भी प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र लिखकर महाविद्यालय को अनुदानित किये जाने का अनुरोध किया गया है, इसके अतिरिक्त कई बार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय की आख्या शासन को प्रेषित की जा चुकी है।

आपके संज्ञान में लाना है कि 1994 में स्ववित्तपोषित जैसी कोई भी योजना नहीं थी और 1994 के समस्त महाविद्यालय अनुदान सूची पर जा चुके हैं जबकि विशेष सचिव उच्च शिक्षा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में शासनादेश 11.11.1997 की बात की जा रही है जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अनुदान सूची पर लिए जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। जबकि यह महाविद्यालय 11.11.1997 से पूर्व स्थापित है और इसका समस्त स्वामित्व राज्य सरकार के आधीन है। इस महाविद्यालय की स्थापना के बाद से 2008 तक महाविद्यालय को अनुदान की प्रत्याशा में मान्यता का विस्तारीकरण किया गया जबकि 11.11.1997 के शासनादेश एवं मंत्री परिषद् की बैठक के पश्चात् शासनादेश दिनांक 21.08.2000 के बाद भी इस महाविद्यालय की मान्यता का विस्तारीकरण 2008 तक किया जाता रहा तथा इसे स्ववित्तपोषित की श्रेणी में लाया गया जिस पर तब से लगातार शासन को अवगत कराया जाता रहा है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय को अनुदान सूची/अधिग्रहण किया जा सकता है। क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री बाबूराम पासवान एवं गन्ना राज्यमंत्री माननीय श्री संजय सिंह गंगवार द्वारा भी महाविद्यालय को अनुदानित किये जाने का महोदय से अनुरोध किया गया है। महोदय के संज्ञान में लाना है कि पूरनपुर ब्लॉक एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है। पूरनपुर तहसील/ब्लॉक में कोई भी अनुदानित महाविद्यालय स्वतंत्रता से लेकर आज तक स्थापित नहीं हुआ जिससे कि इस क्षेत्र के गरीब छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस महाविद्यालय द्वारा आज भी बहुत न्यूनतम शुल्क पर/सरकारी मानकों पर छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करायी जा रही है।

आपके आशीर्वाद एवं सहयोग से महाविद्यालय में बी.एस.सी. कृषि की कक्षाओं के सफल संचालन के लिए 02 करोड़ रुपये की धनराशि गन्ना विभाग द्वारा आवंटित की गई है जिसमें 32 लाख रुपये वेतन हेतु हुए। शेष धनराशि से भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। वर्तमान में वेतन आदि पर लगभग 1.5 करोड़ का व्यय भार है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय की समस्त व्यवस्थायें सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं एवं वेतन मद में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

अतः आदरणीय महोदय से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि पत्र में वर्णित समस्त बिन्दुओं एवं परिस्थितियों पर सम्यक एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए गन्ना किसानों द्वारा स्थापित गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूरनपुर पीलीभीत को मय-स्टाफ अधिग्रहण करते हुए अनुदान सूची में सम्मिलित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

आशीर्वाद का आकांक्षी।

भवदीय

(डॉ० सुधीर कुमार शर्मा)

प्राचार्य

गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पूरनपुर पीलीभीत।

मो०-7017196641, 9410261710

Email- sk.20101971@gmail.com



207

प्रेषक,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.,
17, न्यूबेरी रोड, डालीबाग,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा,
उ.प्र.शासन,
लखनऊ।

दिनांक 28.12.17

पत्र संख्या: 348 /समिति

विषय: गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर जनपद-पीलीभीत को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि, जनपद-पीलीभीत में गन्ना किसानों की कटौती से सहकारी गन्ना विकास समिति लि., पूरनपुर द्वारा संचालित गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर की स्थापना वर्ष 1994 में की गयी। वर्तमान में इस महाविद्यालय में लगभग 1700 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। उक्त महाविद्यालय वर्ष 1994 से आज की तिथि तक गन्ना किसानों की कटौती से प्राप्त धनराशि से संचालित हो रहा है। जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत जोकि उक्त महाविद्यालय के पदेन अध्यक्ष हैं, ने अपने पत्र संख्या: 2521 दिनांक 29.11.2016 द्वारा अवगत कराया है कि महागहिन राज्यपाल/ कुलाधिपति जी के पत्र संख्या: 1937/जी. एस. दिनांक 13.10.2006 द्वारा दिनांक 01.07.2006 से स्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी है। उक्त महाविद्यालय का संचालन नियमानुसार अनुदान की प्रत्याशा में दिनांक 01.07.1994 से किया जा रहा है। इस महाविद्यालय को अनुदान सूची में सम्मिलित करने अथवा राजकीय महाविद्यालय घोषित करने हेतु किये गये प्रयासों के उपरान्त भी स्थिति यथावत बनी हुई है, जबकि वर्ष 1994 तक स्थापित अन्य महाविद्यालय अनुदान सूची में सम्मिलित हो चुके हैं। अनुदान सूची में सम्मिलित न होने के कारण इस महाविद्यालय में कला स्नातक के अतिरिक्त अन्य फैंकल्टी का विस्तार एवं परास्नातक कक्षाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। वर्तमान समय में गन्ना कृषकों की कटौती से प्राप्त धनराशि से किस तरह विद्यालय का संचालन कराया जा रहा है। अनुदान की प्रत्याशा में मान्यता प्राप्त होने के कारण सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की भांति इस संस्था में भी रु.11.00 प्रति माह (रु.0132.00 प्रति वर्ष) ही शिक्षण शुल्क लिया जा रहा था। महाविद्यालय के संचालन में आ रही कठिनाईयों के कारण स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षण शुल्क को बढ़ाया जाना जरूरी हो गया था। वर्तमान में शिक्षण शुल्क के रूप में रु.3472.00 प्रति वर्ष लिया जा रहा है।


जनपद-पीलीभीत की पूरनपुर तहसील के इस वृहद क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु गन्ना किसानों की कटौती से निर्मित एकमात्र यही एक महाविद्यालय है। गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर की 35-40 किमी. की परिधि में अन्य कोई

2015

शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय नहीं है। महाविद्यालय में वर्तमान में लगभग 1700 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं जिनमें से अधिकांश नितान्त निर्धन परिवार के हैं, जो किसी प्रकार शासकीय शिक्षण शुल्क रु.132.00 प्रति वर्ष दे पाते थे, परन्तु महाविद्यालय की आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षण शुल्क रु.3472.00 प्रति वर्ष हो जाने से निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई छोड़ने पर विवश होना पड़ता है। इस प्रकार इस अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिला गन्ना अधिकारी/अध्यक्ष, गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर द्वारा उक्त वर्णित परिस्थितियों में महाविद्यालय को अनुदान सूची में लाने/राजकीय महाविद्यालय घोषित कराने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पूरनपुर परिक्षेत्र में एकमात्र स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के संचालन में आ रही कठिनाईयाँ एवं निर्धन छात्र-छात्राओं को कम फीस में उच्च शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत, अनुरोध है कि, गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर जनपद-पीलीभीत को अनुदान सूची में सम्मिलित करने अथवा राजकीय महाविद्यालय घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,


(संजय आर. शुकल/रेड्डी)

अभ्युक्त,
गन्ना एवं चीनी.उ.प्र.।



प्रेषक,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी तथा निबन्धक,
सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियाँ,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्र संख्या: 111-12/12/समिति/लखनऊ/दिनांक: 22-05-2025

विषय:- गन्ना कृषक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर जिला-पीलीभीत को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया डॉ. सुधीर कुमार शर्मा, प्राचार्य, गन्ना कृषक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर जिला-पीलीभीत के पत्र दिनांक: 09-05-2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गन्ना कृषक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर जिला-पीलीभीत को अनुदान सूची में सम्मिलित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या: 348/समिति, दिनांक: 28-12-2017 (छायाप्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि, जिला-पीलीभीत में गन्ना किसानों की कटौती से सहकारी गन्ना विकास समिति लि., पूरनपुर द्वारा संचालित गन्ना कृषक स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर जिला-पीलीभीत की स्थापना वर्ष 1994 में की गयी। वर्तमान में इस महाविद्यालय में लगभग 1700 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। उक्त महाविद्यालय वर्ष 1994 से गन्ना किसानों की कटौती से प्राप्त धनराशि से संचालित रहा है। जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत उक्त महाविद्यालय के पदेन अध्यक्ष हैं।

उल्लेखनीय है कि 15 नवम्बर, 1994 को महामहिम श्री राज्यपाल महोदय द्वारा संस्था को मान्यता प्रदान की गयी थी। महाविद्यालय को 3 वर्ष तक निजी संसाधनों से संचालित करना था इसके बाद सरकार द्वारा अनुदान सूची पर लेना था, इसी आशय से महाविद्यालय में उच्च शिक्षा सेवा आयोग से चयनित प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई और महाविद्यालय को अनुदान की प्रत्याशा में 1-1 वर्ष का मान्यता विस्तारीकरण किया जाता रहा। महाविद्यालय निरंतर अनुदान की प्रत्याशा में गन्ना कृषकों की गन्ना मूल्य कटौती से संचालित रहा तथा वर्ष 2006 में स्थाई मान्यता के समय इस महाविद्यालय को स्ववित्तपोषित श्रेणी में रखा गया।

वर्तमान में इस महाविद्यालय में बी. ए. प्रथम वर्ष में 800 सीटें, बी.कॉम. प्रथम वर्ष में 60 सीटें तथा एम.ए. छ. विषय में प्रत्येक विषय में 30-30 सीटें स्वीकृत हैं तथा इस क्षेत्र में कोई भी शासकीय/अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय नहीं है। प्रारंभ के वर्षों में इस महाविद्यालय में 132/- रुपये शिक्षण शुल्क लिया जाता था, वर्तमान में अनुदान न मिलने के कारण 3472/- रुपये शिक्षण शुल्क लेकर महाविद्यालय को संचालित किया जा रहा है। 2015-16 से गन्ना किसानों ने अपने गन्ना मूल्य से कटौती न कराने



का निर्णय लिया, जिस कारण महाविद्यालय के संचालन में विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। महाविद्यालय के पास 21.5 एकड़ भूमि है, जो कि महामहिम श्री राज्यपाल/कुलाधिपति/शासन के नाम रजिस्टर्ड है। वर्ष 1994 में स्ववित्तपोषित जैसी कोई भी योजना नहीं थी और 1994 के समस्त महाविद्यालय अनुदान सूची पर जा चुके हैं। प्राचार्य के उक्त पत्र के अनुसार विशेष सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में शासनादेश 11-11-1997 की बात की जा रही है, जिसके अनुसार अनुदान सूची पर लिए जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, परन्तु यह महाविद्यालय 11-11-1997 से पूर्व स्थापित है और इसका समस्त स्वामित्व राज्य सरकार के अधीन है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय को अनुदान सूची/अधिग्रहण किया जा सकता है। पूरनपुर तहसील/ब्लाक में कोई भी राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय स्वतंत्रता से लेकर आज तक स्थापित नहीं हुआ, जिससे कि इस क्षेत्र के गरीब छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस महाविद्यालय द्वारा आज भी बहुत न्यूनतम शुल्क पर/सरकारी मानकों पर छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करायी जा रही है।

इस महाविद्यालय को अनुदान सूची में सम्मिलित करने अथवा राजकीय महाविद्यालय घोषित करने हेतु किये गये प्रयासों के उपरान्त भी स्थिति यथावत बनी हुई है, जबकि वर्ष 1994 तक स्थापित अन्य महाविद्यालय अनुदान सूची में सम्मिलित हो चुके हैं। अनुदान सूची में सम्मिलित न होने के कारण इस महाविद्यालय में कला स्नातक के अतिरिक्त अन्य फैकल्टी का विस्तार एवं परास्नातक कक्षाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है।

जिला-पीलीभीत की पूरनपुर तहसील के इस बृहद क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु गन्ना किसानों की कठौती से निर्मित यही एकमात्र महाविद्यालय है। गन्ना कृषक महाविद्यालय पूरनपुर की 35-40 किमी. की परिधि में अन्य कोई शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय नहीं है। महाविद्यालय में वर्तमान में लगभग 1700 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनमें से अधिकांश नितान्त निर्धन परिवार के हैं, जो किसी प्रकार शासकीय शिक्षण शुल्क रु.132.00 प्रति वर्ष दे पाते थे, परन्तु महाविद्यालय की आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षण शुल्क रु.3472.00 प्रति वर्ष हो जाने से निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई छोड़ने पर विवश होना पड़ रहा है। इस प्रकार इस अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिला गन्ना अधिकारी/अध्यक्ष, गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर द्वारा उक्त वर्णित परिस्थितियों में महाविद्यालय को अनुदान सूची में लाने महाविद्यालय घोषित कराने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पूरनपुर क्षेत्र में एकमात्र स्ववित्त पोषित महाविद्यालय के संचालन में आ रही कठिनाईयों एवं निर्धन छात्र-छात्राओं को कम फीस में उच्च शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत अनुरोध है कि गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पूरनपुर जिला-पीलीभीत को अनुदान सूची में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)

आयुक्त, गन्ना एवं घीनी तथा निबन्धक,
सहकारी गन्ना एवं घीनी मिल समितियाँ, उ.प्र.।



International Year
of Cooperatives

Cooperatives Build
a Better World

पत्र संख्या: 111-12/12/समिति/लखनऊ/दिनांक: 22-05-2025

प्रतिलिपि डॉ. सुधीर कुमार शर्मा, प्राचार्य, गन्ना कृषक स्नात्कोत्तर
महाविद्यालय, पूरनपुर जिला-पीलीभीत को उनके पत्र दिनांक: 09-05-2025 के क्रम
में सूचनार्थ प्रेषित।

11/05/2025

(डा. वी.बी. सिंह)

अपर गन्ना आयुक्त (समितियाँ)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्रीकृष्णाय नमः

754 0 6 4 / 2 3 6

/2019 22

Figure 16.19a

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उज्जैन

द्वितीयः पञ्चमः अनुभागः

उत्पत्ति शिक्षा निर्देशावली

प्रमाणसंख्या

विषय- गङ्गा कृत महाविद्यालय, पुरनपुर, जनपद पीलीभीत को अनुदानित महाविद्यालय घोषित करने के सम्बन्ध में।

उपयुक्त विषयक अद्यतन कराना है कि छात्रावास पत्रांक हो काय / 209A / 2019-20 दिनांक 15.04.2019 द्वारा शासन के पत्र संख्या आर/1043-13/संसार-5-2019-40(88) / 2018 दिनांक 09 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में प्राचार्य/अध्यक्ष गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर, पीसीसीटी को प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये जिसके उत्तर में प्राचार्य एवं अध्यक्ष, गन्ना कृषक महाविद्यालय पूरनपुर, पीसीसीटी का पत्रांक 917 दिनांक 15.04.2019 (छात्रावास सलग्न) प्राप्त हुआ है जिसमें अद्यतन कराया गया है कि गन्ना कृषक महाविद्यालय पूरनपुर पीसीसीटी वर्ष 1994 में स्थापित हुआ तत्समय स्ववित्तपोषित संस्थान का कोई प्राध्यापन शासन स्तर पर नहीं था अतः किन्हीं कारणों से उक्त महाविद्यालय अनुदान सूची में सम्मिलित नहीं हो पाया, इस सम्बन्ध में महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा अनेकों बार प्रयास किये गये तथा उस समय महाविद्यालय में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से प्राचार्य तथा शिक्षकों की नियुक्ति की गई । साथ ही यह भी अद्यतन कराया गया है कि महाविद्यालय को अनुदान सूची पर ले जाने का प्रस्ताव प्रबन्ध समिति की बैठक में भी 26.06.2010 पारित किया जा चुका है महाविद्यालय को अनुदान सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है तथा इस आशय का प्रस्ताव आपामी प्रबन्ध समिति की बैठक में पारित कराकर प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया है । अद्यतन कराया गया है कि-

गन्ना कृषक महाविद्यालय, पुरनपुर, पीलीभीत गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य से कटौती द्वारा संचालित तथा स्वयंसेवा पोषित संस्था है।

2. सत्यान मे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा निम्नांकित दिवसानुसार प्राचार्य एवं प्रवक्ता कार्यरत रहे हैं तथा कुछ प्रवक्तागण अव्रतन कार्यरत हैं:-

क्र.सं.	प्राचार्य/प्रवक्ता का नाम	का	पदनाम	कार्यरत अवधि
1	डॉ० गहेन्द्र सिंह		प्राचार्य	जुलाई 1996 से 30.06.2009 सेवानिवृत्ति तक
2	डॉ० वीरेन्द्र कुमार शर्मा		प्रवक्ता अर्थशास्त्र	जुलाई 1997 से अद्यतन
3	डॉ० लोबान सईद		प्रवक्ता उर्दू	जुलाई 1997 से अप्रैल 2013 तक (अन्यत्र सेवारत हो गये हैं)
4	डॉ० नसरतीन खानो		प्रवक्ता हिन्दी	अगस्त 1999 से अद्यतन

3. महाविद्यालय की भूमि का कुल क्षेत्रफल 8.08 एकड़ है, जिसमें लगभग 25 एकड़ में भवन निर्मित है। सूच्य है कि भूमि की रजिस्ट्री में जेता प्लट में महामहिम राज्यपाल, उद्गम सरकार द्वारा गन्ना विभाग अंकित है। भूमि की खतौनी की प्रति भी संलग्न है। भवन में

—

कार्यालय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वरेली-मुरादाबाद परिक्षेत्र, वरेली

— १५५१३

... ..

[illegible][illegible]

१. अथवा यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करने में विफल रहता है तो उसे अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

[illegible]

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立定期存款账户。
 2. 本行定期存款账户分为整存整付、零存整付、整存零付、零存零付四种。
 3. 本行定期存款利率按中国人民银行规定的利率执行。

[illegible][illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Abstract

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

संख्या ई-8304 जी०एस०
लान-227132, दिनांक नवम्बर 13, 1994

प्रेषक:

श्री राजपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
सहेलाण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

आपके पत्र संख्या स्०वि०/सम्ब०/१४/१९४३२-३४ दिनांक
जुलाई 21, 1994 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि
कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-
1973 की धारा 7(2) के अधीन गन्ना कृषक महाविद्यालय, पुरनपुर
जिला पीलीभीत को स्थातक स्तर पर हिन्दी, भाषा एवं साहित्य,
क्रीडा, सामान्य एवं साहित्य, वृक्षाश्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र
एवं उर्दू विषयों में दिनांक 1-8-94 से तीन वर्ष की अवधि के लिए वसूली
सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि बागायी सत्र
तक महाविद्यालय अपना निजी भवन बनाकर पूर्ण कर ले।

भवदीय,

ह०/

अरुणेंद्रसिन्हा
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी

सहेलाण्ड विश्वविद्यालय
बरेली।

पत्रांक: स्०वि०/सम्ब०/सी-ग०क० महा०/१४/६०३

दिनांक: 16.11.94

प्रतिलिपि प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति, गन्ना कृषक महाविद्यालय,
पुरनपुर, पीलीभीत को सूचनाार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डा० के०बी० सिंह
कुलसचिव

18/11/98

संख्या-3-8531

(जी.एम.)

लखनऊ, दिनांक 19.11.1998

(पिन कोड नं.-227132)

25/11/98

प्रेषक

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-33(2) के अधीन गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर, जिला पीलीभीत को स्नातक स्तर पर कला संवर्ग के अन्तर्गत हिन्दी (भाषा एवं साहित्य), अंग्रेजी (सापेक्ष एवं साहित्य), अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, उर्दू एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में दिनांक 1.7.97 से 30.6.98 तक की कार्यवाही स्वीकृति एवं दिनांक 01.7.98 से दो वर्ष की अवधि के लिए अम्बई सम्प्रदाय के विस्तारण की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि शैक्षिक पंचांग के अनुसार शैक्षिक दिवसों की अवधि को पूर्ण करा लिया गया है।

भवदीय,

(डा० हरशरण दास)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

25/11/98

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, तं० प्र०-१८-ए, नवम मार्ग, (हेस्टिंग्स रोड) इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. प्रबन्धक प्रचारार्थ, गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर पीलीभीत।
5. कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ।

(डा० हरशरण दास)
कुलाधिपति के विशेष सचिव।

(198)

पञ्चा. ई-2968/141.एत.

सतनाऊ, दिनांक 24.04.2000

(पिन कोड नं.-227133)

श्रेयः

श्री राज्यालय/कुलधिपति के विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
पञ्चायत समिति कुले खेलकूद विद्यालय,
मोली।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रांतीय कुलधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग अधिनियम, 1973 की धारा-3(2) के अन्तर्गत पञ्चा कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर, मोली-बीत को स्नातक स्तर पर कला शाखा के अन्तर्गत हिन्दी भाषा एवं साहित्य, अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं उर्दू विषयों में दिनांक 01.03.2000 से आगामी 02 वर्ष की अवधि में लिए आचार्य सम्प्रदाय के विस्तारण की स्वीकृति सहित प्रयोजन कर ले है।

भवदीय,

(अनीत सिंह)

कुलधिपति के विशेष अधिकारी।

प्रतिनिधि विभागीयित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 30/30-12-71, मध्य मार्ग, (देविलेज रोड), इलाहाबाद।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतनाऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, 30/30, इलाहाबाद।
- प्रवक्ता/प्रमुख, पञ्चा कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर, मोली-बीत।
- कर्मचारी रोल, राजपवन, सतनाऊ।

31
26/4/2000

(अनीत सिंह)
कुलधिपति के विशेष अधिकारी।

राज्यपाल राधिका, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-227132

संख्या-ई.रा./जी.एस.
दिनांक 27 जुलाई, 2002

प्रेषण,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,

महात्मा ज्योतिबापुले स्नेहलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

आपके पत्र सं० रु०वि०/सम्ब०/2001/1505-09 दिनांक 27.12.2001 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37(2) के अधीन गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर, पीलीभीत को स्वचिन्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी (सामान्य/साहित्य), अंग्रेजी (सामान्य/साहित्य), समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं उर्दू विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2002 से आगामी एक वर्ष तक की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता के अवधि विस्तारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय द्वारा इस अवधि में यू०जी०सी०/शासन द्वारा निर्धारित अर्हताधारी शिक्षकों की नियुक्ति कर उनकी नियुक्ति पर कुलपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा, अन्यथा उसके बाद सम्बद्धता विस्तारण नहीं किया जायेगा एवं सोसायटी का नवीनीकरण करके उसकी प्रति शासन एवं महामहिम कुलाधिपति को तीन माह के भीतर उपलब्ध करा देगा।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त विषयों में विद्यार्थियों का प्रवेश फीस, शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संबंध में शासनादेश: 1960/संतर-2-97(85) 97, दिनांक 11.11.97 के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारण के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश के प्राविधानों का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है।
3. संस्था विश्वविद्यालय की परिनिर्णयमायली में उल्लिखित अस्थायी सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनिर्णयों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी।
4. संस्था निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण में इंगित कमियों को उपरोक्त अवधि में पूर्ण कर लेगी।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, 1.18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य, गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर, पीलीभीत।
5. कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ।

कर्मल

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

श्री राज्यपाल के आदेश पर महामहिम, सचिव एवं
उपसचिव को पत्रों के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।
उपलब्ध-4/1/02

06/01/02

राज्यपाल साहिबमालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ 227132

427 (45)

सम्प्रा-ई सं १९५३ / ३०५२
दिनांक १२/१२ / २००६

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
महान्ता ज्योतिषा कुले सहलखण्ड विश्वविद्यालय,
दरौली।

महोदय,

आपके पत्रांक. ल०वि०/सम्प्र०/८९(९)/२००६/८३६६-६८ दिनांक २८-६-२००६ के सद्वर्तन में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर, पीलीभीत को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, उर्दू, राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों में स्थापित पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१-०७-२००६ से सन्यद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- १- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- २- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सन्यद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- प्रधानक/प्राचार्य, गन्ना कृषक महाविद्यालय, पूरनपुर, पीलीभीत।

विजय कुमार सिंह
(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव